

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.4160  
दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए

नीलाम की गई खदानों की निगरानी

4160. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा परिवर्तन, उद्योगों और अवसंरचना क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लिथियम सहित 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का 2015 से नीलाम की गई लगभग 500 प्रमुख खनिज और कोयला खदानों के संचालन की निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों, आवश्यक सामग्रियों संबंधी सहयोग तंत्र विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री  
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) भारत सरकार ने अपने ऊर्जा परिवर्तन, उद्योगों और अवसंरचना क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लिथियम सहित 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की पहचान की है। इन खनिजों की सूची (अनुलग्नक-I) को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग-घ के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) सरकार द्वारा प्रमुख सांविधिक मंजूरीयों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर नीलाम किए गए ब्लॉकों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए पहले से ही परियोजना

निगरानी इकाईयों (पीएमयू) की स्थापना की गई है। अब तक, विभिन्न राज्यों में 457 प्रमुख खनिज ब्लॉकों और 131 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

(ग) 13 नवंबर, 2024 को महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. डेटा और सांख्यिकी, सर्वोत्तम पद्धति, नीति ट्रेकिंग उपकरणों का आदान-प्रदान और विकास, साथ ही डेटा संग्रहण में सुधार पर सहयोग;
- ii. मॉडलिंग और विश्लेषण; और
- iii. कोई अन्य क्षेत्र, जिसपर दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमति व्यक्त की गई है।

\*\*\*\*\*

एमएमडीआर अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज(24 खनिज)
1. बेरिल और अन्य बेरिलियम युक्त खनिज
2. कैडमियम युक्त खनिज
3. कोबाल्ट युक्त खनिज
4. गैलियम युक्त खनिज
5. ग्लौकोनाइट
6. ग्रेफाइट
7. इंडियम युक्त खनिज
8. लिथियम युक्त खनिज
9. मोलिब्डेनम युक्त खनिज
10. निकल युक्त खनिज
11. नियोबियम युक्त खनिज
12. फॉस्फेट (यूरेनियम रहित)
13. प्लैटिनम समूह के तत्व युक्त खनिज
14. पोटेश
15. "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम नहीं होते
16. रेनियम युक्त खनिज
17. सेलेनियम युक्त खनिज
18. टैंटलम युक्त खनिज
19. टेल्यूरियम युक्त खनिज
20. टिन युक्त खनिज
21. टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन)
22. टंगस्टन युक्त खनिज
23. वैनेडियम युक्त खनिज
24. जिंकोनियम युक्त खनिज और अयस्क जिसमें जिंकोन भी शामिल है